

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/6/बजट-2210/2015-16/739
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/12/2015

- ✓ 1. आई.ई.सी. ब्यूरो भोपाल, मध्यप्रदेश।
- ✓ 2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
- ✓ 3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- ✓ 4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
- ✓ 5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय।
- ✓ 6. समस्त जिला मलेरिया अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- ✓ 7. समस्त क्षय चिकित्सालय/सिविल अस्पताल, मध्यप्रदेश।
- ✓ 8. समस्त प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज/प्रशिक्षण केन्द्र, मध्यप्रदेश।

विषय :- **IFMIS** परियोजना अंतर्गत एम्पलाई डाटा वेरीफिकेशन बावत्।

संदर्भ :- संचालनालय कोष एवं लेखा का पत्र क्रं. **DTA/IFMIS/माईग्रेशन/2015/768** दिनांक 11.12.2015
उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि **IFMIS** परियोजना में समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा अपने कर्मचारियों/अधिकारियों का एम्पलाई डाटा वेरीफिकेशन किया जाना है।

अतः एक सप्ताह में कर्मचारियों/अधिकारियों के अभिलेखों की जांच/वेरीफिकेशन करते हुए सत्यापित कर कोषालय अधिकारी को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करे।

अपर संचालक, वित्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृष्ठ.कमांक/6/बजट-2210/2015-16/740
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 28/12/2015

- 1 अपर संचालक (**IFMIS**), संचालनालय कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
- 2 निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।

अपर संचालक, वित्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ)
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015/ 1090
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/12/15

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-सीधी, म.प्र.।

विषय :- कोष एवं लेखा विभाग द्वारा किये गए आंतरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के पालन प्रतिवेदन के संबंध में।


संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/लेखा/जि.बी.सहा./2015/1295 दिनांक 26.11.2015

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत संबंधित अस्पतालों को आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति अत्यंत दयनिय है। विशेष प्रयास कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तदानुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत कराये।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आपका पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1090)




(डॉ.राजीव सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015/ 1091
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 21/12/15

1. संचालक, राज्य बीमारी सहायता निधि, स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आपका पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1090 के संबंध में अस्पतालों से प्राप्त पूरा की
2. MIS Web Site पर ऑडिट करें।


वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1082

भोपाल, दिनांक 15/12/15

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-खण्डवा, म.प्र.।

विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खण्डवा के कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/235 दिनांक 17.06.2014

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करे। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. राजीव सक्सेना)

वित्तीय सलाहकार

एवं अपर संचालक (वित्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ. क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1083

भोपाल, दिनांक 15/12/15

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर भेजकर लेख है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खण्डवा के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपे।
2. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट अपलोड करवाने का कष्ट करे।

वित्तीय सलाहकार

एवं अपर संचालक (वित्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1080

भोपाल, दिनांक 15/12/15

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-नरसिंहपुर, म.प्र.।

विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-नरसिंहपुर के कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2012-13 से अप्रैल 2014 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत्।


संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/248 दिनांक 20.06.2014

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से अप्रैल 2014 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करे। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(डॉ. राजीव सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.


पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1081

भोपाल, दिनांक 15/12/15

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर भेजकर लेख है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपे।

प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट अपलोड करवाने का कष्ट करे।


वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015//078
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/12/2015

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला-नरसिंहपुर, म.प्र.।

विषय :- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला-नरसिंहपुर के कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2012-13 से अप्रैल 2014 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत्।


संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/250 दिनांक 20.06.2014

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से अप्रैल 2014 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(डॉ. राजीव/सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015//079

भोपाल, दिनांक 15/12/2015

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर भेजकर लेख है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी का जिम्मेदारी सौंपे।
2. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट अपलोड करवाने का कष्ट करें।


वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-खरगौन, म.प्र.।

विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खरगौन के कार्यालय के वित्तीय वर्ष 01.04.2013 से 31.03.2014 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/536 दिनांक 01.10.2014

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 01.04.2013 से 31.03.2014 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करे। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ.राजीव सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पू.क्रमांक 6/ऑडिट/2015//077

भोपाल, दिनांक 15/12/2015

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर भेजकर लेख है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगौन के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपे।
2. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट अपलोड करवाने का कष्ट करे।

वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1074
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/12/2015

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला-दमोह, म.प्र.।

विषय :- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला-दमोह के कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2013-14 से मई 2014 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत्।


संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/321 दिनांक 23.07.2014

—0—

विषयांतरात् संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से मई 2014 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।


विभागीय अंशेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(डॉ.राजीव सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1075
प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सागर संभाग सागर की ओर भेजकर लेख है सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक दमोह के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपे।
2. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट अपलोड करवाने का कष्ट करें।


वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1072

भोपाल, दिनांक 15/12/15

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-होशंगाबाद, म.प्र.।

विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-होशंगाबाद के कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम त्रैमास के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/377 दिनांक 14.08.2014

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम त्रैमास के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

विभागीय अंकक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करे। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ.राजीव सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1073

भोपाल, दिनांक 25/10/15

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल संभाग भोपाल की ओर भेजकर लेख है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपे।
2. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेब साईट अपलोड करवाने का कष्ट करे।

वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1070
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/12/2015

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-झाबुआ, म.प्र.।

विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-झाबुआ के कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2013-14 से जुलाई 2014 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/583 दिनांक 25.10.2014

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से जुलाई 2014 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करे। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ.राजीव सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1071

भोपाल, दिनांक 15/12/2015

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर भेजकर लेख है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेवारी सौंपे।
2. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट अपलोड करवाने का कष्ट करे।

वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015//068
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/12/13

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-रीवा, म.प्र.।

विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-रीवा के कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के प्रथम त्रैमास के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बाबत।


संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/365 दिनांक 08.08.2014

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के प्रथम त्रैमास के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।


विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करे। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(डॉ.राजीव सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015//069
प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, रीवा संभाग रीवा की ओर भेजकर लेख है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा, अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपे।
2. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट अपलोड करवाने का कष्ट करे।


वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015/066
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/12/15

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-पन्ना, म.प्र.।

विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-पन्ना के कार्यालय के वित्तीय वर्ष दिनांक 04/2013 से 11/2014 के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावर्त।


संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/889 दिनांक 16.02.2015

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा दिनांक 04/2013 से 11/2014 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करे। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(डॉ.राजीव सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015/067

भोपाल, दिनांक 15/12/15

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सागर संभाग सागर की ओर भेजकर लेख है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपे।
2. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट अपलोड करवाने का कष्ट करे।


वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1064

भोपाल, दिनांक 15/12/2015

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-उमरिया, म.प्र.।


विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-उमरिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम त्रैमास में केन्द्रीयकृत बजट से आहरित राशि का निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/159 दिनांक 27.05.2014

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम त्रैमास में केन्द्रीयकृत बजट से आहरित राशि के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।


विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करे। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है। संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(डॉ.राजीव सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1065

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, रीवा संभाग रीवा की ओर भेजाकर लेख है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपे।
2. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट अपलोड करवाने का कष्ट करे।


वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1062
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/12/15

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-विदिशा, म.प्र.।

विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-विदिशा द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम त्रैमास में केन्द्रीयकृत बजट से आहरित राशि का निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत्।


संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/382 दिनांक 14.08.2014

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम त्रैमास में केन्द्रीयकृत बजट से आहरित राशि के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करे। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(डॉ. राजीव सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1063

भोपाल, दिनांक 15/12/15

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल संभाग भोपाल की ओर भेजकर लेख है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपे।
2. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट अपलोड करवाने का कष्ट करे।


वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1060

भोपाल, दिनांक 15/12/2015-

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-शहडोल, म.प्र.।

विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-शहडोल के कार्यालय के वित्तीय वर्ष दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2013 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत्।


संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/342 दिनांक 24.06.2013

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2013 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करे। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(डॉ. राजीव सक्सेना)

वित्तीय सलाहकार

एवं अपर संचालक (वित्त)


संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1061

भोपाल, दिनांक 15/12/2015-

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, रीवा संभाग रीवा की ओर भेजकर लेख है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपे।
2. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट अपलोड करवाने का कष्ट करे।



वित्तीय सलाहकार

एवं अपर संचालक (वित्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1058
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/12/2015

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-अनूपपुर, म.प्र.।


विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- अनूपपुर के कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2012-13 के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/465 दिनांक 31.08.2013
—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चांहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।


विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करे। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(डॉ.राजीव सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1059
प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, रीवा संभाग रीवा की ओर भेजकर लेख है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपे।
2. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट अपलोड करवाने का कष्ट करे।


वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

भोपाल, दिनांक 15/12/15

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015//056

भोपाल, दिनांक 15/12/15

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-सागर, म.प्र.।

विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-सागर के कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2012-13 के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत्।


संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/निरी.प्रति.
/2013-14/395 दिनांक 26.07.2013

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(डॉ. राजीव सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ. क्रमांक 6/ऑडिट/2015//057

भोपाल, दिनांक 15/12/015

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सागर संगम सागर की ओर भेजकर लेख है- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपे। प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट अपलोड करवाने का कष्ट करें।


वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015//०५५

भोपाल, दिनांक 15/12/2015

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

जिला-मंदसौर, म.प्र.।

विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-मंदसौर के कार्यालय के वित्तीय वर्ष 01.04.2014 से 30.06.2015 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ :- संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/966 दिनांक 20.11.2015

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 01.04.2014 से 30.06.2015 तक के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 तक संबंधित लेखापाल के हस्ते अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ.राजीव सक्सेना)
वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015//०५५

भोपाल, दिनांक 15/12/2015

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर भेजकर लेख है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर के कार्यालय से पालन प्रतिवेदन भिजवाये जाने हेतु आपके कार्यालय के लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपे।
2. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट अपलोड करवाने का कष्ट करें।

वित्तीय सलाहकार
एवं अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र/6/आडिट/2015/

भोपाल,दिनांक /12/2015

प्रति,

समस्त,

संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें

म.प्र.,

विषय:-आडिट कंडिकाओं के निराकरण बाबत ।

:-:-

विषयान्तर्गत शीघ्र ही अंकेक्षण से संबंधित महालेखाकार की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक होगी। इसमें आपके क्षेत्राधिकार के समस्त संबंधित अधिकारियों को उपस्थित होना होगा। अतः इस पत्र के माध्यम से सूचना दी जाती है। आप अपने संबंधित लेखाधिकारियों/लेखा प्रभारियों से इस संबंध में समीक्षा करवा ले। शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के स्तर पर एक बैठक उपरोक्त अधिकारियों की ली जावेगी एवं इसके बाद में अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर समीक्षा बैठक होगी। अतः दिनांक 23.12.15 तक आपके क्षेत्राधिकार के प्रभारियों की आडिट कंडिकाओं का विवरण पत्रक आदि तैयार करावा ले एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। प्राधिकारी वार, आई.आर. वार कितनी कंडिकायें शेष हैं, इसकी जानकारी अद्यतन तैयार करवा ले।

//

(डॉ.राजीव सक्सेना)

वित्तीय सलाहकार,

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

विभाग

भोपाल,दिनांक 0/12/2015

पृ.क्र/6/आडिट/2015/1028

प्रतिलिपि

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें की ओर सूचनार्थ।

3. श्री पाभरि वेब साईट जे अंतर्गत

वित्तीय सलाहकार,

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

विभाग मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ)
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1029
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/12/15

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-होशंगाबाद, भोपाल, सागर, छतरपुर, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, इन्दौर, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, भिण्ड, श्योपुर, धार, म.प्र.।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला-सागर, छतरपुर, दमोह, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, इन्दौर, धार, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर, म.प्र.।

विषय :- कोष एवं लेखा विभाग द्वारा किये गये आंतरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में।
संदर्भ :- संचालनालय का पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/2015/832 दिनांक 26.09.2015, पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/2015/938 दिनांक 06.11.2015 एवं पत्र क्रमांक 6/ऑडिट/2015/960 दिनांक 19.11.2015

—0—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। संदर्भित पत्र द्वारा आपको निर्धारित समय सीमा में आप कोष एवं लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लेकर संचालनालय उपस्थित होने हेतु लिखा गया है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक 10.12.2015 तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण से स्वास्थ्य आयुक्त को भी पालन प्रतिवेदन ब्रीफ नहीं भेजा जा सका एवं इसके साथ ही आयुक्त, कोष एवं लेखा को भी अवगत नहीं कराया जा पा रहा है। पालन प्रतिवेदन न भेजने के संबंध में आपको पूर्व संदर्भित पत्र द्वारा सूचित किया गया था।

आपके द्वारा उक्त कार्य को गंभीरता पूर्वक न लेते हुए, पालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है, न ही कारणों से अवगत कराया गया। उक्त कृत अनुशासनविहिता की श्रणी में आता है। क्यों न आपकी वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाए। 7 दिवस के भीतर कारण सहित पालन प्रतिवेदन विशेष वाहक के हस्ते भिजवाने का कष्ट करे।

(डॉ.राजीव सक्सेना)

वित्तीय सलाहकार

एवं अपर संचालक (वित्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

भोपाल, दिनांक 10/12/15

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2015/1030
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
4. संचालक, वित्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि प्रकरण में समय सीमा में पालन सुनिश्चित करायें अन्यथा आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. प्रभारी, एम.आई.एस., कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अंकित करवाने का कष्ट करे।

वित्तीय सलाहकार

एवं अपर संचालक (वित्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

मध्यप्रदेश

सतपुडा भवन,भोपाल

Email ID-dr.rajeevsaxenabpl@yahoo.com

दूरभाष नम्बर-07552571219

क्रमांक /6/बजट/2015/ 336
प्रति,

भोपाल दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

- (1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला-शिवपुरी/अलीराजपुर(म0प्र0)
- (2) जिला मलेरिया अधिकारी, सतना/सिंगरौली/नीमच/रायसेन/शयोपुर/भिण्ड/गुना/उज्जैन/उमरिया/दमोह/दतिया/देवास/धार/इंदौर/मंदसौर/पन्ना/रीवा/सागर/सीहोर/
- (3) प्राचार्य,क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र,गवालियर/इंदौर/जबलपुर (म0प्र0)
- (4) अधीक्षक,टी.बी.सेनोटेरियम,भोपाल/नौगांव (छतरपुर)/

विषय:-IFMIS सिस्टम में बजट वर्ष 2016-17 की एन्ट्री न करने के संबंध में ।

-000-

अत्यन्त खेद एवं चिन्ता का विषय है कि स्वास्थ्य संचालनालय, आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं अन्य अधिकारियों से निर्देशन के बाद भी आपके द्वारा IFMIS सिस्टम में बजट अंकित नहीं किया है । यह गंभीर प्रकार की अनुशासनात्मक एवं लापरवाही की स्थिति है । क्यों न आपके इस कृत्य के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं लेखापाल की वेतनवृद्धि रोकने के लिए प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किया जाए ?

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 10.12.2015 दोपहर 3.00 बजे तक यह कार्यवाही पूर्ण कर लें एवं सांयकाल तक अवगत करावें ।

(डॉ० राजीव सक्सेना) 9/12/15

अतिरिक्त संचालक (वित्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 9 दिसम्बर,2015

पृ0क्र0 /6/बजट/2015/ 337
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ ।

- 1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय-वल्लभ भवन,भोपाल ।
- 2/ आयुक्त,स्वास्थ्य सेवार्ये,मध्यप्रदेश ।
- 3/ आयुक्त,कोष एवं लेखा,मध्यप्रदेश ।
- 4/ संचालक (वित्त) स्थानीय कार्यालय ।
- 5/ श्री अमित Web Site पर प्रकाश हेतु ।

अतिरिक्त संचालक (वित्त) 9/12/15

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

समय सीमा
5.12.2015 अपरान्ह 2.00 बजे तक

क्रमांक/6/बजट-2210/2015-16/334
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04/12/2015

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें - संभाग ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - अशोकनगर, भोपाल, बुरहानपुर, दमोह, इंदौर, कटनी, मण्डला, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, उमारिया।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक - अशोकनगर, बडवानी, भोपाल, बुरहानपुर, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, आगर।
4. जिला मलेरिया अधिकारी - बालाघाट, बैतुल, दतिया, इंदौर, मण्डला, नीमच, पन्ना, रायसेन, रीवा, सतना, सिवनी, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली, उमारिया।
5. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल।
6. प्राचार्य - नर्सिंग कॉलेज उज्जैन, जबलपुर।
7. अधीक्षक - रानी दुर्गावती जबलपुर, के.एन.के.भोपाल।
8. प्राचार्य - प्रशिक्षण ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर।

विषय :- आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में बजट 2016-17 तैयार कर बी.सी.ओ. को प्रेषित करने बाबत।


—000—

विषयांतर्गत लेख है कि संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा सभी आहरण अधिकारियों को वित्त विभाग, संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा तैयार आई.एफ.एम.आई.एस. परियोजना में बजट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था एवं इस कार्यालय द्वारा भी निर्देशित किया गया था।

परन्तु आज दिनांक तक आहरण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त सॉफ्टवेयर में बजट तैयार करने हेतु पूर्व में भी निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु निर्देश देने के उपरांत भी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सॉफ्टवेयर में वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट अभी तक तैयार नहीं किया गया है, यह बहुत खेद का विषय है।

अतः आपको पुनः अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 05.12.2015 को अपरान्ह 2.00 बजे तक अनिवार्य रूप से आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट तैयार कर कार्यसूची में जाकर अनुमोदित करें, ताकि बी.सी.ओ. स्तर पर आपके द्वारा बनाये गये बजट देखा जा सकें।

बजट तैयार न होने की स्थिति में आपके कार्यालय के लेखापाल, आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को अनुशंसा की जावेगी।


(डॉ. राजीव सक्सेना)
अपर संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2 पर

// 2 //

पृ.क्रमांक/6/बजट-2210/2015-16 / 335

भोपाल, दिनांक 04/12./2015

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय म.प्र.।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, आयुक्त, संचालनालय कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल।
4. निज सहायक, संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
- ✓ 5. प्रभारी, एम.आई.एस. की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।

अपर संचालक (वित्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

4/12/15